# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट )**

**(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)**

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0018 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/01/2024 18:25 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:18 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/01/2024 18:25:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Sabala Dungarpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Naruram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Bhgwanram gayri

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | Suwalal Panchal ka Makan, Muged, Panchayat Samiti Sabla, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | Chowkidaro ka bas, Madaliya Pipad city, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8949787670

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajendar Kumar Sanwariya AEN | | पिता:Prmanand Sanwariya | 1. Purani Colony Near Shiv Mandir,Dhariyawad,PRATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 50,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय ,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24.01.2024 समय 01.00 पीएम को श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को उनके कक्ष बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे दो व्यक्तियो का परिवादी श्री नारूराम पुत्र श्री भगवानराम चौकिदार, उम्र 40 वर्ष निवासी चौकीदारो का बास, मादलीया, पीपाड़ शहर, जोधपुर एवं परिवादी के मित्र श्री जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा, उम्र 26 वर्ष निवासी डिगारीया टप्पा कॉलेश्वर, तहसील बसवा, जिला दौसा के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री नारूराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर परिवादी एवं उसके मित्र को अपने कक्ष में लाकर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री नारूराम द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया गया कि "मैं नारूराम पुत्र श्री भगवानराम जाति गायरी, उम्र 40 वर्ष निवासी चौकीदारो का बास, मादलीया, पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर हाल निवासी गांव (सुखलाल पंचाल का मकान) मुगेड, पंचायत समिति साबला, जिला डूंगरपुर, पेशा विद्युत विभाग रिछा साबला में विद्युत पोल लगाने का प्राईवेट ठेकेदारी काम करता हॅू । मैं वर्ष 2017 से ये काम कर रहा हॅू। श्री मुकेश जैन ने जीएसएस साबला से पोल लगाने के टेण्डर ले रखा है जिनसे मैंने पेटी कान्टेक्ट प्रति पोल 1200 रुपये लगाने की दर से ठेका लिया गया है। जिसके अन्तर्गत मेरे द्वारा रिछा-साबला सर्कल में कुल 300 पोल लगाये गये। विद्युत विभाग साबला डूंगरपुर के AEN श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया मुझसे प्रति पोल 200 रुपये कमिशन के हिसाब से कुल 60,000 रुपये एवं मेरे द्वारा बोलेरा केम्पर वाहन रजिस्टेशन नम्बर आरजे 19-जीजी-3101 जो श्री पंकज ठेकेदार के मार्फत आज से तीन महिने पहले पॉच माह के लिये जीएसएस रिछा में ठेके पर लगा रखी थी। उसके प्रति माह 5,000/- रूपये कमिशन के हिसाब से कुल 25,000/- रुपये इस प्रकार श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया मुझसे कुल 85,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है तथा रिश्वत राशि नही देने पर रिछा-साबला जीएसएस क्षेत्र में दोबारा विद्युत विभाग के किसी भी ठेकेदार के अन्तर्गत काम नही देने एवं पहले पुराने काम का हिसाब करने पर ही ठेकेदारी का नया काम करने देने की धमकी दे रहा है। मैं अपने जायज काम के बदले श्री राजेन्द्र कुमार को रिश्वत राशि के 85,000/- रुपये नही देना चाहता हॅू। रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री राजेन्द्र कुमार से रूपयो की कोई पुरानी लेन देन या उधार बकाया नही है ना ही कोई रंजिष है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया कि मैं अनपढ हू मुझे लिखना व पढना नही आता हैं इसलिये मैंने उक्त प्रार्थना पत्र मैंने मित्र श्री जितेन्द्र कुमार मीणा से मेरे कहेनुसार लिखवायी गई है, रिपोर्ट लिखने के बाद श्री जितेन्द्र कुमार ने मुझे पढकर सुनाया उसके बाद रिपोर्ट पर मैंने मेरे हस्ताक्षर किये है, उक्त रिपोर्ट शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। श्री जितेन्द्र कुमार मीणा से मजीद दरियाफ्त करने पर श्री जितेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं रिपोर्ट स्वंय द्वारा हस्तलिखित होने की ताईद की। श्री जितेन्द्र कुमार मीणा के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया गया। जिस पर दिनांक 25.01.2024 समय करीब 08.00 एएम पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ट सहायक मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री नारूराम से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। श्री लक्ष्मण सिंह कनिश्ठ सहायक द्वारा साबला जिला डूंगरपुर पहुच परिवादी श्री नारूराम से सम्पर्क कर समय करीब 02.52 पीएम पर वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी श्री नारूराम को देकर मांग सत्यापन वार्ता करवायी गई जिसमे आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ने परिवादी से वार्ता के दौरान साबला जीएसएस क्षेत्र में ठेकेदार से नया काम दिलाने की एवज में एवं पूर्व में लगाये गये 300 पोल के प्रति पोल 200 रुपये कमीशन के कुल 60,000/- रुपये एवं मेरे द्वारा बोलेरा केम्पर वाहन जो श्री पंकज ठेकेदार के मार्फत तीन माह पहले पॉच माह के लिये जीएसएस रिछा में लगा रखी थी। उसके प्रति माह 5,000/- रूपये के हिसाब से कुल 25,000/- रुपये की मांग की, इस प्रकार कुल 85,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करने एवं मांग सत्यापन के दौरान ही 7,000 /- रुपये मांग कर ग्रहण करने तथा परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर 50,000/- रुपये ओर रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा पुराना हिसाब करने पर ही दुसरा काम देने संबंधी वार्ता की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् दिनांक 25.01.204 समय 05.50 पीएम अग्रिम टेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह हेतु श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् उदयपुर को

स्वतंत्र श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत हाल सहायक अभियंता, पंचायत समिति सलुम्बर, अतिरिक्त चार्ज जिला परिशद् उदयपुर एवं श्री विनोद चौधरी हाल कनिश्ठ सहायक पंचायत समिति गोगुन्दा-हाल जिला परिषद् उदयपुर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिन्हे परिवादी श्री नारूराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया तथा दिनांक 25.01.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया तो दोनो गवाहान द्वारा भी रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि करने पर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी से सम्पर्क करने पर परिवादी द्वारा 50,000/- रुपये रिश्वत राशि की व्यवस्था होना तथा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार उसके सरकारी निवास पर उपस्थित मिल जाने हेतु बताने पर दिनांक 26.01.2024 को समय 11.00 एएम श्री मांगीलाल कानि से कार्यालय से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सरकारी वाहन ट्रावेलर के डेस्क बॉक्स में सुरक्षित रखवायी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री मुनीर मोहम्मद स.उ.नि., श्री सुरेश कानि, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री विक्रम तथा श्री पुष्कर लाल हैड कानि, श्री गुलाब सिंह हैडकानि, श्री टीकाराम कानि, श्री दिनेश कुमार कानि, श्री मांगीलाल कानि व स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी मय सरकारी वाहन ट्रावेलर मय चालक श्री युसुफ मय टेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 02.30 पीएम पर धरियावद के पास गावं अरबडा सलुम्बर रोड पर पहुचें जहॉ परिवादी श्री नारूराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री नारूराम एवं हमराहियान का आपस में परिचय करवाया जाकर समय करीब 03.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नारूराम को आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया, सहायक अभियन्ता को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर श्री मांगीलाल कानि. से सरकारी वाहन ट्रावेलर के डेक्स बोर्ड के अन्दर मे रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर ट्रावेलर की पिछली सीट पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री नारूराम की पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की आगे की बायी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी से लिवाई जाकर उक्त जेब में श्री मांगीलाल कानि से कोई शैः न छोडते हुए रिष्वत राषि 50,000/- रुपये रखवाये गयी। तत्पश्चात् श्री सुरेश कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में वाहन ट्रावेलर में रखे पानी पिने के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिन को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मांगीलाल कानि. की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मांगीलाल कानि. वाहन के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मांगीलाल कानि. को सुरक्षित अपने पास रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मीस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा श्री मांगीलाल कानि. मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के वही से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेषकषी नोट मूर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार की लोकेशन की जानकारी हेतु दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नारूराम के मोबाईल नम्बर से श्री राजेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर परिवादी की वार्ता करवायी गई तो आरोपी द्वारा धरियावद से बाहर होना तथा एक घण्टे बाद आना बताया। तत्पश्चात् समय करीब 04.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, गवाहान, परिवादी मय ब्यूरो जाप्ता के सलुम्बर रोड से रवाना होकर धरियावद उदयपुर रोड पर पहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नारूराम को आरोपी की लोकेशन की गोपनिय जानकारी करने कहा गया। समय 05.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 25.01.2024 को परिवादी श्री नारूराम व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग

सत्यापन वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर चलाकर सुनाया गया तो परिवादी श्री नारूराम ने रिकॉर्ड शुदा वार्ता में एक आवाज स्वंय की तथा दुसरी आवाज आरोपी राजेन्द्र कुमार सांवरिया ए.ई.एन. विद्युत विभाग साबला डूंगरपुर की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय अभाव होने से आयन्दा सीडी मूर्तिब किया जाना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक, गवाहान, परिवादी मय ब्यूरो जाप्ता वाहनो से सलुम्बर रोड से धरियावद उदयपुर रोड के लिये रवाना हुए। समय करीब 07.30 पीएम पर परिवादी श्री नारूराम ने बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया अभी तक उनके सरकारी निवास धरियावद पर नही आये है उनके आने की सम्भावना भी नही लग रही हैं, ना ही उन्होने मुझे फोन कर सम्पर्क किया है। जिस पर हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर परिवादी श्री नारूराम की जीन्स की पेंट की आगे की बायी जेब मे रखी रिश्वत राशि 50,000/- रुपये को गवाह श्री विनोद चौधरी से निकलवाकर एक लिफाफे में रख कर श्री गुलाब सिंह हैडकानि को सुपुर्द कर टेप बॉक्स में सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी श्री नारूराम को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। समय करीब 08.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के धरियावद प्रतापगढ से रवाना होकर समय करीब 10.00 पीएम ब्यूरो कार्यालय पहुचे। स्वतंत्र गवाहान को गोपनियता रखने की हिदायत देकर रूकसत किया। दिनांक 27.01.2024 समय करीब 10.35 एएम पर परिवादी श्री नारूराम को जरिये व्हाट्सएप वाईस कॉल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आज दिनांक 27.01.2024 व कल दिनांक 28.01.2024 को राजकीय अवकाश होने से श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. जीएसएस साबला आने की सम्भावना नही है, ना ही उन्होने मुझे अब तक सम्पर्क किया है। दिनांक 29.01.2024 को श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. जीएसएस साबला पर उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की दिनांक 29.01.2024 से पहले संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करें। दिनंाक 28.01.2024 समय करीब 06.40 पीएम पर परिवादी श्री नारूराम को जरिये व्हाट्सएप वाईस कॉल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 29.01.2024 को श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. जीएसएस साबला पर उपस्थित मिल जायेगें। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करें। दिनांक 29.01.2024 समय करीब 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर पाबन्द षुदा स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत व श्री विनोद चौधरी एवं ब्यूरो जाप्ता उपस्थित हुए। समय करीब 10.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री मुनीर मोहम्मद स.उ.नि., श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत व श्री विनोद चौधरी मय सरकारी वाहन टवेरा मय कानि चालक श्री चंचल तथा श्री पुष्कर लाल हैड कानि, श्री गुलाब सिंह हैडकानि, श्री टीकाराम कानि, श्री दिनेश कुमार कानि, श्री मांगीलाल कानि व श्री सुरेश कानि मय सरकारी वाहन ट्रावेलर मय चालक श्री युसुफ मय टेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो कार्यालय से साबला डूंगरपुर के लिये रवाना होकर समय 1.10 पीएम पर शिव मंदिर कस्बा साबला डूंगरपुर रोड पर पहुचें, जहॉ परिवादी श्री नारूराम उपस्थित मिला, जिसें वाहन टवेरा में बैठाया गया। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही की हिदायत देकर स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी से परिवादी श्री नारूराम की जीन्स की पेन्ट आगे की बायी जेब की तलाषी लिवाई गई, परिवादी श्री नारूराम की बायी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए टेप बॉक्स के अन्दर लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 50,000/- रुपये को स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी से निकलवाकर रखवायी गई। स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी के दोनो हाथ को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 01.30 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर देकर उसकी मोटर साईकिल से जीएसएस साबला की तरफ रवाना किया तथा परिवादी द्वारा उपलब्ध करवायी गई अन्य मोटरसाईकिल पर श्री सुरेश कानि व श्री दिनेश कानि को पिछे पिछे रवाना किया। वाहनो को साईड में खडा करवा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पैदल-पैदल जीएसएस साबला की तरफ रवाना हुए। मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता जीएसएस साबला के पास पहुच आस-पास अपनी उपस्थित छिपाये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहें। समय 03.18 पीएम पर परिवादी श्री नारूराम जीएसएस साबला कार्यालय से बाहर आकर अपने सिर पर हाथ घुमाकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिसे कानि श्री सुरेश ने देखकर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान व ब्यूरो जाप्ता परिवादी श्री नारूराम के पास जीएसएस मुख्य द्वारा के पास पहुचें तो परिवादी ने वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि अभी अभी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. ने मुझे उनकी मांग अनुसार 50,000/- रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली बायी जेब में रखी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पिछे-पिछे जीएसएस साबला कार्यालय के अन्दर सहायक अभियंता कक्ष में प्रवेश किया। कार्यालय कक्ष में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर हाथ से ईशारा कर बताया कि यही श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. है जिन्होने मुझे 50,000/- रुपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली बायी जेब में रखी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय का व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से परिचय पुछा तो अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया पुत्र श्री परमानन्द सांवरिया, उम्र 49 वर्ष निवासी आसुलाई रोड वार्ड नम्बर 15, चाकसू जयपुर हाल निवासी पुरोनी कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, धरियावद जिला प्रतापगढ हाल सहायक अभियंता, (प.व.स.) अजमेर डिस्कॉम,

साबला, डूंगरपुर होना बताया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया जाकर परिवादी श्री नारूराम से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कहां रखी होना पूछने पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. ने बताया कि श्री नारूराम ने मुझे 50,000/- रुपये दिये थे जो मैने मेरी पेन्ट की पिछली बायी जेब में रखे है। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. से परिवादी श्री नारूराम से 50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है, ना ही मैंने रिश्वत राशि ग्रहण की है उक्त राशि श्री नारूराम ने मुझे मजदूरी कार्य के दिये है। जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. झूठ बोल रहे है। इन्होने मुझसे जीएसएस रिछा, साबला क्षेत्र में मेरे द्वारा श्री मुकेष जैन ठेकेदार से विद्युत पोल लगाने के लिये पेटी कान्टेक्ट के किये गये काम के भुगतान एवं नये ठेके के काम दिलाने की एवज में प्रति पोल 200 रुपये कमीशन के हिसाब से कुल 60,000 रुपये एवं मेरे द्वारा बोलेरा केम्पर वाहन जो श्री पंकज ठेकेदार के मार्फत तीन माह पहले पॉच माह के लिये जीएसएस रिछा में लगा रखी थी। उसके प्रति माह 5,000/- रूपये के हिसाब से कुल 25,000/- रुपये कुल 85,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 24.01.2024 को एसीबी कार्यालय उदयपुर पर रिपोर्ट पेश की तथा दिनांक को मेरे व इनके बिच हुई मांग सत्यापन वार्ता जिसे मेरे द्वारा एसीबी के वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था वार्ता के दौराने इन्होने मुझसे 85,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर इन्होने मुझसे 7,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण किये तथा 50,000/- रुपये रिश्वत राशि हेतु सहमत हुआ। आज दिनांक 29.01.2024 को इन्होने मांग अनुसार मुझसे 50,000/- रुपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली बायी जेब में रखी है। जिस पर पुनः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. से रिश्वत राशि ग्रहण करने के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बिना कुछ कहे अपना सिर निचे झुका दिया। आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी की वास्तविक के प्रमाणन हेतु सरकारी वाहन ट्रावेलर से कानि0 श्री टीकाराम से टेप बॉक्स मंगवाया जाकर उसमें से श्री टीकाराम कानि. से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोसल गिलास निकलवाकर कार्यालय जीएसएस साबला डूंगरपुर में रखे पानी पीने के केम्पर से साफ पानी को गिलासों में अलग-अलग भरवाकर स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत से टेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे पारदर्षी डिस्पोसल गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयॉ को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. के पेन्ट की पिछली बायी जेब की तलाशी लिवायी गई तो 500-500 रूपये के नोट की गिड्डी मिली। जिसे हमराहियान के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री विनोद चौधरी से गिनवाया गया तो 500-500 से 100 नोट कुल 50,000/- रुपये होना बताया तथा जिनके नम्बरो को मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकषी नोट से करवाया गया हुबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 500-500 के 100 नोट कुल 50,000/- रुपये सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वहज सबुत जप्त किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. की पहनी हुई कपडे की पेन्ट बरंग नेवी ब्लयू की पिछली बायी जेब से रिश्वत राशी बरामद होने से धोवन लेने की कार्यवाही वांछित होने से जीएसएस साबला के अन्य कर्मचारी से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. के लिये नई पेन्ट मंगवाकर आरोपी की पहनी हुई पेन्ट ससम्मान उतरवाकर नई पेन्ट पहनवायी गई। तत्पश्चात् कानि0 श्री टीकाराम से टेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्षी डिस्पोसल गिलास निकलवाकर कार्यालय जीएसएस साबला डूंगरपुर में रखे पानी पीने के केम्पर से साफ पानी को भरवाकर स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत से सोडियम कार्बोनेट की शीशी में से एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस पारदर्षी डिस्पोसल गिलास के घोल में मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री टीकाराम कानि ने आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. की कपडे की पेन्ट बरंग नेवी ब्लयू की पिछली बायी जेब को उल्टा कर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशीयों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री गुलाब सिंह हैडकानि द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. की पहनी हुई कपडे की पेन्ट बरंग नेवी ब्लयू की पिछली बायी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से पेन्ट की पिछली बायी जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा उक्त पेन्ट को सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 05.20

पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी श्री नारूराम की निशानेही से फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 09.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा आज दिनांक 29.01.2024 को समय करीब 01.15 पीएम से 03.18 पीएम तक परिवादी श्री नारूराम एवं आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार ए.ई.एन. के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन देन हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार व परिवादी श्री नारूराम को दोनो स्वंतत्र गवाहानों के समक्ष चलाकर सुनाई गई तो दोनों ने अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ट सहायक द्वारा मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कानि द्वारा उक्त वार्ता की लेपटोप की सहायता से एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर श्री गुलाब सिंह हैडकानि से सीलचिट करवायी जाकर मार्क 'B' दिया गया । सीलचिटशुदा कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी सीडी एवं आईओ सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रख कर अनसील्ड रखा गया। मूल सीडी, आरोपी सीडी व आईओ सीडी को सुरक्षित टेप बॉक्स में रखवायी गयी। दिनांक 30.01.2024 समय करीब 01.15 ए.एम. पर मन् पुलिस के निर्देशानुसार श्री सुरेश कानि द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा दिनांक 25.01.2024 को परिवादी श्री नारूराम व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर चलाकर सुनाई गई तो उक्त वार्ता में परिवादी व आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होना बताया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट दिनांक 25.01.2024 को मुर्तिब की जाने से श्री सुरेश कानि द्वारा लेपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की एक मूल, एक आरोपी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को प्लास्टिक के सीडी कॅवर में सुरक्षित रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर श्री गुलाब सिंह हैडकानि से सीलचिट करवायी जाकर मार्क 'A' दिया गया। सीलचिट शुदा कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी सीडी एवं आईओ सीडी को प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रख कर अनसील्ड रखा गया। मूल सीडी, आरोपी सीडी व आईओ सीडी को सुरक्षित टेप बॉक्स में रखवायी गयी। पृथक से फर्द सीडी मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 02.15 ए.एम. मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री गुलाब सिंह हैडकानि से दौराने टेप कार्यवाही वार्ताओ की रिकार्डिंग हेतु ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB बरंग लाल एवं ग्रे को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकलवा कर मेमोरी कार्ड कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सीलबंद कर मार्क 'M' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.30 ए. एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया हाल सहायक अभियंता, (प.व.स.) अजमेर डिस्कॉम, साबला, डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रश्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 41(क) सीआरपीसी के प्रावधानो की पालना कर जरिये फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया गया। समय करीब 03.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री मुनीर मोहम्मद स.उ.नि., श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र सिंह कुमावत व श्री विनोद चौधरी मय सरकारी वाहन टवेरा मय कानि चालक श्री चंचल तथा श्री पुष्कर लाल हैड कानि, श्री गुलाब सिंह हैडकानि, श्री टीकाराम कानि, श्री दिनेष कुमार कानि, श्री मांगीलाल कानि व श्री सुरेष कानि मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मय सरकारी वाहन ट्रावेलर मय चालक श्री युसुफ मय टेप बॉक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवष्यक संसाधन के जीएसएस साबला डूंगरपुर से रवाना होकर समय करीब 04.45 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पुलिस थाना भूपालपुरा, उदयपुर पहुच आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया को पुलिस थाना भूपालपुरा की हवालात में पहरा संतरी की निगरानी में रखने हेतु थाना डीओ को तेहरीर देकर दाखिल हवालात करवाया जाकर वहॉ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुच जप्तशुदा मालखाना आटिकल्स को श्री गुलाब सिंह हैडकानि को सम्भलाकर मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूकसत किया गया।इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया हाल सहायक अभियंता, (प.व.स.) अजमेर डिस्कॉम, साबला, डूंगरपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरपयोग कर वैध पारिशर्मिक के अलावा परिवादी श्री नारूराम से रिछा-साबला जीएसएस क्षेत्र में ठेकेदार से नया काम दिलाने की एवज एवं पूर्व में लगाये गये 300 पोल के प्रति पोल 200 रुपये के भुगतान कमीशन आदि के लिये 85,000/- रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने हेतु हाथा जोडी करने पर 50,000/- रुपये आंशिक रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा मांग सत्यापन के दौरान 7,000 /- रूपये रिश्तव राशि कर ग्रहण करना तथा दिनांक 29.01.2024 को परिवादी श्री नारूराम से अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 50,000/- रूपयें ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछली बायी जेब में रखना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।अतः श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया पुत्र श्री परमानन्द सांवरिया, उम्र 49 वर्ष निवासी आसुलाई रोड वार्ड नम्बर 15, चाकसू जयपुर हाल निवासी पुरोनी

कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, धरियावद जिला प्रतापगढ हाल सहायक अभियंता, (प.व.स.) अजमेर डिस्कॉम, साबला, डूंगरपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।भवदीय,(डॉ. सोनू शेखावत )पुलिस निरीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोंउदयपुर.....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सांवरिया पुत्र श्री परमानन्द सांवरिया, हाल सहायक अभियंता, (प.व.स.) अजमेर डिस्कॉम, साबला, डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद को सुपुर्द कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त के सम्बन्ध में रोजनामचा आम रपट संख्या 469 पर अंकित है।(विशनाराम)पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः- 93-96 दिनांक 30.01.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** MANSHA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2024 18:48:28

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2024 18:45:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Vishna Ram

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 10/02/1975 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**